सप्तदश

बिहार विधान सभा

अष्टम सत्र

अल्पसूचित प्रश्न

वर्ग-5

शुक्रवार, तिथि 26 फाल्गुन, 1944 (श०) / 17 मार्च, 2023 (ई०)

प्रश्नों की कुल संख्या 06

(1)	स्वास्थ्य विभाग	02
(2)	ऊर्जा विभाग	02
(3)	योजना एवं विकास विभाग	01
(4)	विधि विभाग	01
	कुल योग --	06

सेवा नियमावली बनाना

55. श्री मुकेश कुमार रौशन (क्षेत्र संख्या-126 महुआ)--क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि राज्य में दंत चिकित्सक शिक्षकों की सेवा नियमावली नहीं रहने के कारण शिक्षकों की सेवा नियमित नहीं हुई है, जिससे उनमें काफी असंतोष है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक जनहित में राज्य दंत चिकित्सक शिक्षक सेवा नियमावली बनाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

समय-सीमा का निर्धारण

56. श्री अजय कुमार सिंह (क्षेत्र संख्या-166 जमालपुर)--क्या मंत्री, योजना एवं विकास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास योजना निधि अन्तर्गत माननीय विधायक द्वारा अनुशंसित योजनाओं से संबंधित विभाग से मिलने वाली अनापत्ति अथवा आपत्ति के लिये समय-सीमा निर्धारित नहीं होने के चलते योजनाओं के कार्यान्वयन में अनावश्यक विलम्ब होता है, यदि हाँ, तो सरकार माननीय सदस्यों की अनुशंसित योजनाओं के लिये संबंधित विभाग से अनापत्ति अथवा आपत्ति के लिये समय-सीमा कबतक निर्धारित करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--वस्तुस्थिति यह है कि योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु सरकारी/लोक भूमि की उपलब्धता एक अनिवार्य शर्त है । अतः भूमि उपलब्धता संबंधी प्रतिवेदन प्राप्त होने पर ही माननीय सदस्य, बिहार विधान मंडल द्वारा अनुशंसित योजनाएँ क्रियान्वित की जाती है ।

अनुशंसित योजना की प्रशासनिक स्वीकृति एवं क्रियान्वयन हेतु मार्गदर्शिका में वर्णित प्रावधानों के अनुपालन हेतु भूमि उपलब्धता संबंधी प्रतिवेदन/अनापत्ति प्रमाण-पत्र ससमय उपलब्ध कराने हेतु सभी अंचलाधिकारी एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी को निदेशित करने एवं जिलास्तरीय समन्वय समिति की बैठक में नियमित रूप से इस बिन्दु की समीक्षा एवं अनुश्रवण करने का निदेश सभी जिला पदाधिकारियों को विभागीय पत्रांक 4792, दिनांक 7 नवम्बर, 2019, पत्रांक 5703, दिनांक 31 दिसम्बर, 2019 एवं पत्रांक 886, दिनांक 14 फरवरी, 2023 द्वारा दिया गया है ।

स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, बिहार के सभी कार्य प्रमंडलों में क्रियान्वित योजनाओं का अनुश्रवण नियमित रूप से मुख्य अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, मुख्यालय तथा विभाग के क्षेत्रीय पदाधिकारियों के द्वारा किया जाता है ।

उल्लेखनीय है कि बिहार विकास मिशन द्वारा अपूर्ण योजना के अनुश्रवण हेतु असैनिक कार्य सूचकांक के माध्यम से सभी कार्य विभागों के स्तर पर अपूर्ण योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की जाती है ।

लम्बित केसों का निपटारा करना

57. श्री संजय सरावगी (क्षेत्र संख्या-83 दरभंगा)--स्थानीय हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र के दिनांक 2 मार्च, 2023 में प्रकाशित शीर्षक "50 साल से ज्यादा लम्बित मामलों में बिहार का देश में दूसरा स्थान" को ध्यान में रखते हुये, क्या मंत्री, विधि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों में रिक्त पदों के मामले में बिहार देश का दूसरा राज्य है, निचली अदालतों में न्यायाधीशों के 2016 पदों में से 667 पद रिक्त है, जबकि राज्य में जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों में 34, 45, 159 केस पेंडिंग है जो देश के कुल पेंडिंग केसों में तीसरे स्थान पर है, यदि हाँ, तो क्या सरकार न्यायाधीशों की बहाली एवं जल्द से जल्द लम्बित केसों का निपटारा करना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

विद्युत् विपत्र को माफ करना

58. श्री अजीत शर्मा (क्षेत्र संख्या-156 भागलपुर)--क्या मंत्री, ऊर्जा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि राज्य में आर्थिक रूप से विपन्न, विधवा, परित्यक्त एवं बेसहारा महिलाओं की संख्या पाँच लाख से ऊपर है जो कि अपने बिजली विपत्र एवं डी0पी0एस0 का भुगतान करने में असमर्थ हैं, यदि हाँ, तो सरकार उपर्युक्त श्रेणी की महिलाओं के विद्युत् विपत्र को कबतक माफ करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--इस संबंध में कोई आँकड़ा उपलब्ध नहीं है । विद्युत् विपत्र में लिये जाने वाले बिजली की दर बिहार विद्युत् विनियामक आयोग द्वारा स्वीकृत टैरिफ में निहित प्रावधानों के तहत निर्धारित है । वर्तमान टैरिफ में बिजली विपत्र अथवा डी0पी0एस0 के माफी का कोई प्रावधान उपलब्ध नहीं है ।

विद्युत् आपूर्ति करना

59. श्री विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह (क्षेत्र संख्या-221 नवीनगर)--स्थानीय हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र के दिनांक 2 सितम्बर, 2022 के अंक में छपी खबर के शीर्षक "राज्य के 70 लाख ग्रामीण दे रहे बिजली का अधिक फिक्स्ड चार्ज" के आलोक में क्या मंत्री, ऊर्जा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार विद्युत् विनियामक आयोग के मार्च, 2020 के फैसले के अनुसार राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत् आपूर्ति प्रतिदिन 21 घंटे से कम होने पर अनुपातिक रूप से फिक्सड चार्ज में कमी करने का प्रावधान है ;

(2) क्या यह बात सही है कि वर्ष 2022 में राज्य के ग्रामीण लोगों में प्रतिदिन 1000 मेगावाट कम विद्युत् आपूर्ति होने के कारण 5 घंटे से अधिक बिजली की कम आपूर्ति की गयी लेकिन फिक्स्ड चार्ज की वसूली में छूट नहीं दी गई ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बिजली की कम आपूर्ति पर नियमानुसार फिक्स्ड चार्ज में छूट नहीं दिये जाने का औचित्य बतलाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

डायलिसिस हेतु कर्मी और टेक्निशियन की नियुक्ति

60. श्री प्रेम कुमार (क्षेत्र संख्या-230 गया टाउन)--स्थानीय हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र के दिनांक 9 जनवरी, 2023 को प्रकाशित शीर्षक "पी0एम0सी0एच0 में 30 नई डायलिसिस मशीन, पर चलाने वाला नहीं" को ध्यान में रखते हुये क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पटना के पी0एम0सी0एच0 अस्पताल में किडनी मरीजों के इलाज हेतु तीन साल पहले नेफ्रोलॉजी विभाग के व्यवहारार्थ 30 नई डायलिसिस मशीन खरीदी गई लेकिन पारा मेडिकल कर्मी और टेक्निशियन की कमी के कारण मरीजों का डायलिसिस नहीं हो पा रहा है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक किडनी मरीजों का डायलिसिस करने हेतु पारा मेडिकल कर्मी और टेक्निशियन की नियुक्ति करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पटना :
दिनांक 17 मार्च, 2023 (ई0) ।

पवन कुमार पाण्डेय,
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

बि0स0मु0, 91(एल0ए0), 2022-23-डी0टी0पी0-550